


::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय,वस्तु एवं सेवा करऔरकेन्द्रीय उत्पाद शुल्क:: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST &CENTRAL EXCISE

द्वितीय तल,जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road



Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142Email: commrappl3-cexamd@nic.in



रजिस्टर्डडाकए.डी.द्वारा

DIN- 20230364SX000000F3E5

अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No.

मूल आदेश सं /

दिनांक/Date

O.I.O. No.

431/AC/NIS/BVR-3/2022-23

12:00:00 AM

अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.):

GAPPL/COM/STP/3291/2022

BHV-EXCUS-000-APP-107-2023

आदेश का दिनांक /

Date of Order:

24.03.2023

जारी करने की तारीख /

Date of issue:

31.03.2023

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर,राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सुजित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham:

अपीलकर्ता&प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of theAppellant&Respondent :-

PACHABHAI RANCHODBHAI MAKWANA VADI VISTAR, KOTDAPITHA ROAD,, VILL-KHANPUR,, TALUKA-BABRA, AMRELI-365421

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by an appeal to the appropriate authority in the following way. this Order-in-Appeal

सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं (A) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to: -

वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/ (i)

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए।/ (ii)

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para-1(a) above

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग, ज्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रिजस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित (iii) शुल्क जमा करना होगा।/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of dutydemand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग ,ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना,रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, वैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/ (B)

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than of the penalty levied is more than five Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrate of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

केन्द्रीय उट

(i) वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं (ii)

अर्थान शुल्म, कन्द्राय उत्पाद शुल्म एवं संपाक्त अर्थालाय त्राविकरण (संस्टट) के त्रात अपाला के मौने में कन्द्रीय उत्पाद शुल्क अविनयम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

धारा 11 डी के अंतर्गत रकम

(ii)

सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/

स्थान अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन : (C) सारत सरकार ने अपनेया. Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-11000T, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

यदि माल के किसी नुक्सान के मामले में, जहां नुक्सान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुक्सान के मान के मोत के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुक्सान के मान के मोत के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी पाड़ में पाड़ के प्रसंस्करण के दौरान या किसी आप किसी पाड़ में पाड़ के प्रसंस्करण के दौरान या किसी आप किसी मान के प्रसंस्करण के दौरान या किसी आप किसी मान के प्रसंस्करण के दौरान या किसी आप किसी मान के प्रसंस्करण के दौरान या किसी आप किसी मान के प्रसंस्करण के दौरान या किसी आप किसी मान के प्रसंस्करण के दौरान या किसी आप किसी मान के प्रसंस्करण के दौरान या किसी आप किसी मान के प्रसंस्करण के दौरान या किसी आप किसी मान के प्रसंस्करण के दौरान या किसी मान के प्रसंस्करण मान के प्रसंस्करण के दौरान या किसी मान के प्रसंस्करण के (i)

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, (ii) जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)

सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गईं है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए (iv) Tredit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी (v) EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। (vi) The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various umbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)

यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended. (E)

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सिम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)

उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। /
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in. (G)



:: अपील आदेश / ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Pachabhai Ranchodbhai Makwana, Khanpar (hereinafter referred to as "Appellant") has filed the present Appeal against Order-in-Original No. 431/AC/NIS/BVR-3/22-23 dated 16.09.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central GST Division-3, Bhavnagar (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

- 2. The facts of the case, in brief, are that the Income Tax Department shared the third party information/ data based on Income Tax Returns/ 26AS for the Financial Year 2015-16 & 2016-17 of the Appellant. A letter dated 01.03.2021 was issued by the Jurisdictional Range Superintendent requesting the Appellant to provide information/documents for the Financial year 2015-16 & 2016-17. However, no reply was received from the Appellant.
- 3. In absence of data/information, a show cause notice dated 12.04.2021 was issued to the Appellant demanding Service Tax and cess to the tune of Rs. 3,14,155/- under Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act') alongwith interest under Section 75 of the Act. It was also proposed to impose penalties under Section 77(1)(a), 78, 77(2) and 77(1)(c) of the Act upon the Appellant.
- 4. The adjudicating authority vide the impugned order confirmed Service Tax demand of Rs. 3,14,155/- under Section 73(1) along with interest under Section 75 of the Act, imposed penalty of Rs. 3,14,155/- under Section 78 of the Act and also imposed penalty of Rs. 2,000/- each under Section 77(1)(a) and 77(2) of the Act.
- 5. Being aggrieved, the Appellant has preferred the present appeal on grounds that they are engaged in business of diamond job work. Their service is exempted as per mega exemption Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20.06.2012 at Clause 30 (ii) (b). Since the service is exempt from Service Tax, levy of interest and penalty thereon is not subjected.
- 6. The matter was posted for hearing on 23.02.2023. CA Yash Ranpara appeared for personal hearing and submitted that the appellant provided service relating to diamond cutting/ polishing job work as per oral agreement. The profit & loss account and sample invoice etc. are enclosed. However, the Adjudicating Authority has passed order ex-parte. He requested to set aside the Order-In-Original.
- 7. I have carefully gone through the case records, impugned order and appeal memorandum filed by the Appellant. I find that the impugned order was received by the Appellant on 22.09.2022. Therefore, an appeal against the impugned order should have been filed by 22.11.2022. However, the Appellant

Big

has filed the appeal on 12.12.2022. Thus, there is a delay of 22 days in filing of the appeal. This authority has power to condone a delay of maximum 30 days beyond the period of 2 months prescribed in the Act for filing of the appeal, if sufficient cause which prevented the appellant from filing of appeal within prescribed time is shown. In the present case, the appellant in his request for condonation of delay has stated the reason for delay as 'search of consultant and arranging documents'. Since, it is not mandatory to file appeal through a consultant and there is no scarcity of consultants and the appellant is at liberty to submit documents even after filing of appeal or at the time of hearing, there is no compulsion to miss the deadline for these reasons. Thus, I do not find these to be the sufficient reasons which prevented the appellant to file the appeal within stipulated time of two months. Therefore, I am not inclined to condone the delay of 21 days in filing of the appeal after stipulated period of two months.

- 8. In view of above, I reject the appeal filed by the Appellant as inadmissible on grounds of time limitation without going into the merits of the case.
- 9. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

The appeal filed by Appellant is disposed off as above

सत्यापित Aftested आर. अस. बारीना R. S. BORICHA (शिव प्रताप सिंह)/(Shiv Pratap Singh), अधीक्षक / Superintendent

के. ब. एवं सेवा कर अपील्स, राज्**आयुक्त (अपील)**/Commissioner (Appeals) CGST Appeals, Rajkot

By R.P.A.D.

To,

M/s. Panchabhai Ranchhodbhai Makwana, Vadi Vistar, Kotdapitha Road, Village: Khanpar, Taluka: Babra, Dist. Amreli-365421. सेवा में,

मे पाँचाभाई रणछोडभाई मकवाणा, वाडी विस्तार, कोटडापीठा रोड, गाँव: खानपर, तालुका: बाबरा, जिल्ला: अमरेली-365421 ।

प्रतिलिपि:-

- 1)मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेत्।
- 2)आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर आयुक्तालय, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3)अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेत्।
- 4)सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल-3, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेत्।
- 5)गार्ड फ़ाइल।

